उपजिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जिला कलेक्टर डॉ मंजू जिला कलक्टर ने पंचायत समिति कपासन सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।

कपासन, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने गुरुवार को कपासन उपखंड क्षेत्र के सिंहपुर में स्थित नर्सरी, निंबाहेड़ा क्षेत्र की गौरानाथ गौशाला तथा कपासन उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर निम्बाहेड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल के लिए जाते समय सिंहपुर नर्सरी पहुंचीं। यहां उन्होंने ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नर्सरी में फलदार एवं छायादार पौधों का अधिकाधिक रोपण करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव एवं विकास अधिकारी को दिए। निंबाहेड़ा क्षेत्र में गौरानाथ गौशाला का अवलोकन करते हुए उन्होंने गौशाला परिसर में छायादार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। साथ ही गौशाला समिति को गौशाला के माध्यम से आय के स्त्रोत विकसित करने के लिए आवश्यक पहल करने को कहा, जिससे व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो सकें।

कपासान उप जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने आपातकालीन कक्ष, लेबर रूम, डिलीवरी रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने एक दीवार में आ रहे क्रैक को गंभीरता से लेते हुए उपखंड अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु से पूर्व इसकी मरम्मत सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्पताल में साफ-सफाई, पेयजल, वेंटिलेशन एवं गर्मी के मद्देनज़र आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए।इसके पश्चात जिला कलक्टर ने कपासन पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। निर्देश दिए कि क्षेत्र में सड़क, पेयजल सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचे तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।

जिला कलक्टर ने किया बाल चिकित्सालय का निरीक्षण

उदयपुर,(कासं)। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के शिशु रोग विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गुरूवार सुबह सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं नियंत्रक डॉ. राहुल जैन, एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन, और बाल चिकित्सालय विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक अरोड़ा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बाल चिकित्सालय का निरीक्षण करते जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल।

■ अस्पताल परिसर की स्वच्छता देख संतोष व्यक्त किया

निरीक्षण की शुरुआत में जिला कलक्टर ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता देख संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि अस्पताल के कोनों और सीढ़ियों पर पान या गुटखा की पीक के निशान नहीं थे। अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन ने बताया कि प्रवेश द्वार पर ही सख्त चेकिंग और मरीजों के परिजनों को जागरूक करने के साथ-साथ जगह-जगह कचरा पात्रों की व्यवस्था से यह संभव हो पाया है। कलक्टर ने ओपीडी, वैक्सीनेशन कक्ष और एडोलसेंट सेंटर का जायजा लिया। उन्हें अवगत कराया गया कि यह चिकित्सालय देश का दूसरा सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर है । इस दौरान उन्होंने जनसहभागिता बढ़ाने हेतु चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर अपने हस्ताक्षर भी किए। साथ ही हीमोफीलिया एवं थैलेसीमिया वार्ड में पंजीकृत 300 से अधिक मरीजों के नियमित उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। संभाग का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ भर्ती अति-कुपोषित बच्चों के उपचार और उनके माता-पिता को दिए जाने वाले दैनिक भत्ते की जानकारी भी कलक्टर ने ली। उन्होंने आईसीयू, पीआईसीयू और कुपोषण वॉर्ड की रसोई का निरीक्षण कर आहार की गुणवत्ता जांची।जिला कलेक्टर ने भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अस्पताल विस्तार के सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज से जुड़ी निर्माण एजेंसियों के कार्यों की गति बढ़ाने के लिए हर माह जिला कलक्टर कार्यालय स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में यातायात, पार्किंग और मरीजों, छात्रों व चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को भी इन समीक्षा बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की बात कही। उन्होंने प्रिंसिपल डॉ. जैन को निर्देश दिए कि वे इन बैठकों का विस्तृत एजेंडा तैयार करें ताकि समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निराकरण हो सके।

विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक अरोड़ा ने बताया कि कई मरीजों की मां योजना पॉलिसी समाप्त होने पर अस्पताल स्तर पर व्यय वहन किया जाता है। इस पर कलक्टर ने फील्ड में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके और चिकित्सालय पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े।

जेवरात व नकदी चोरी

उदयपुर,(कासं)। बडगांव थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़ कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार सायरा हॉल शिव कॉलोनी बडगांव निवासी रामसिंह ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष सं-0294-2421255,2420013 Email:- ceoudr.lsg@rajasthan.gov.in, website:- www.udaipurmc.org

क्रमांक संस्था/जा/2026/जा.76 दिनांक :– 22.04.2026

आम–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री राजू,** नगर निगम, उदयपुर में **सफाई कर्मचारी** के पद पर कार्यरत थी। इनकी मृत्यु दिनांक **23.10.2025** को हो जाने से इनके पुत्री **सुश्री शीला नलवाया,** निवासी 483, ओ.टी.सी.स्कीम, सज्जन नगर उदयपुर ने मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक **28.11.2025 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।**

अतः इनको नियुक्ति देने के संबंध में किसी को भी कोई आपत्ति हो तो मय साक्ष्य दस्तावेज के अन्दर म्याद 15 दिन में नगर निगम की संस्थापन शाखा में प्रस्तुत करे । बाद म्याद आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाकर आवेदक को नियुक्ति देने की कार्यवाही की जावेगी ।

सूचित हो।

उपायुक्त

राज.संवाद/सी/26/1430

कार्यालय नगर परिषद,राजसमन्द जिला-राजसमंद

क्रमांक:-नपरा/राजस्व/2026-27/4665 दिनांक: 22/04/2026

-: आपत्ति सूचना पत्र -:

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 1. दीपक लौहार पिता स्व. श्री लक्ष्मण जी लौहार 2. श्री पुखराज लौहार पिता स्व. श्री गणेशलाल लौहार निवासी माणक चौक सब्जी मण्डी के पास राजनगर तहसील व जिला राजसमंनद द्वारा ऑनलाईन क्रमांक180785 से पैतृक/खरीदशुदा से प्राप्तशुदा आवासीय/ वाणिज्यिक पट्टेशुदा भूखण्ड/ मकान जो राजस्व ग्राम-राजनगर के आराजी नं. 363 बापी पटटा सं.-दिनांक 27.06.47 इस्वी भूखण्ड सं. का क्षैत्रफल 2558.53 वर्गफीट का पटटा जारी किया गया। आवेदक द्वारा क्रय शुदा/प्राप्त शुदा उक्त भूखण्ड संख्या का क्षैत्रफल 2558.53 वर्ग फीट का उपविभाजन/एकीकरण/नामान्तरण चाही गयी है। जिसके पडौस निम्नानुसार है।

पूर्व	पडौस	सुन्दरलाल जी माली का मकान
पश्चिम	पडौस	माणक चौक
उत्तर	पडौस	धर्मेश जी सुथार का मकान
दक्षिण	पडौस	रोड़

उपरोक्त आवेदिक भूखण्ड/भवन का उपविभाजन/एकीकरण/नामान्तरण जारी करने में यदि किसी हितधारी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद मयाद कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

अवैध निर्माण ध्वस्त किया

डूंगरपुर, (निसं)। शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए नगर परिषद ने गुरुवार को बडी कार्रवाई को अंजाम दिया। परिषद की टीम ने आदर्शनगर लिंक रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान के पीछे गेपसागर झील से निकलने वाले ओटे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया।

नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि परिषद को लगातार शिकायतें मिल रही थी, कि गेपसागर झील के बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जांच में पाया गया कि फिजा बाई पत्नी सैफद्दीन बोहरा द्वारा ओटे पर अतिक्रमण कर निर्माण कराया जा रहा था, जो नियमों के विपरीत है। शिकायत की पुष्टि के बाद नगर परिषद ने बिना देरी किए मौके पर टीम भेजी। प्रभारी हितेश रोत के नेतृत्व में मोहम्मद रजा, निखिल पाटीदार और रमेश कोटेड सहित अन्य कार्मिकों ने अतिक्रमण को चिन्हित किया और जेसीबी मशीन की सहायता से उसे पूरी तरह हटवा दिया। कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सतर्कता भी बरती।

गेपसागर झील से निकलने वाले ओटे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया।

आयुक्त डूडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गेपसागर झील के बहाव क्षेत्र और उससे जुडे ओटे पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण पूर्णत: प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थलों, जल निकासी मार्गों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने से बचें तथा यदि कहीं अवैध निर्माण होता दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत नगर परिषद को दें। नगर परिषद की इस कार्यवाही को शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमित रूप से कार्रवाई होती रही तो शहर में अवैध कब्जों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी और जल निकासी व्यवस्था भी बेहतर होगी।

मॉक ड्रिल का आयोजन

राजसमंद, (निसं)। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशों के तहत गुरुवार देर शाम पुलिस लाइन में हवाई हमले एवं ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाते हुए आपात स्थिति का यथार्थपरक वातावरण तैयार करते हुए आकाश से बम गिरने तथा उसके पश्चात आग लगने की स्थिति को दर्शाया गया। सूचना मिलते ही विभिन्न एजेंसियों ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला।

अभ्यास के माध्यम से आपदा की स्थिति में समन्वित कार्रवाई, त्वरित निर्णय क्षमता एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग का परीक्षण किया गया।मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर फाइटर्स, स्काउट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी टीमों ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन किया।

स्वरोजगार के नए अवसरों के प्रति किया प्रेरित

आई-स्टार्ट राजस्थान अवेयरनेस सेशन का आयोजन हुआ।

बांसवाड़ा, (निसं)। छात्रों में स्टार्टअप संस्कृति के प्रति जागरूकता विकसित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से लियो इंटरनेशनल स्कूल में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तत्वावधान में आई-स्टार्ट राजस्थान अवेयरनेस सेशन का आयोजन किया गया।

संस्थान निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित आई-स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्टार्टअप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। यह सत्र जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येन्द्र कुमार शाह के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अपने नवाचारपूर्ण विचारों को व्यवसाय योजना में परिवर्तित करने, स्टार्टअप पंजीकरण प्रक्रिया, इन्क्यूबेशन सुविधाएं, मेंटरशिप, फंडिंग के अवसर तथा ई-बाजार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसरों के प्रति प्रेरित किया गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत पालीदाणा पंचायत समिति सायरा, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-08 दिनांक-23.04.2026

- ई निविदा सूचना-01/2024-25-

इस ग्राम पंचायत में MLA-LAD योजनान्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित कार्यो की ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क्रं.स.	कार्य का नाम	UBN No
1	रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य परताराम के बीड से कुण्डाल की ओर गांव पालीदाणा	ZUD2627A0255
2	पुलिया निर्माण कार्य मोहन दिपा के घर के पास गांव बागुनी पालीदाणा	ZUD2627A0253

प्रशासक
ग्राम पंचायत -पालीदाणा
पं.स. सायरा, जिला-उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत -पालीदाणा
पं.स. सायरा, जिला-उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत भरदा पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला-उदयपुर

क्रमांक:-एफ( )/ग्रापंका/लेखा/ई-निविदा/2025-26/63 दिनांक-20.04.2025

-: ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में निष्पादित कराए जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु उपर्युक्त श्रेणी में निर्माण विभाग मे पंजीकृत संवेदक एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदको, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है निविदा एवं विस्तृत शर्ते कार्यालय दिवस में कार्यालय में एवं टेण्डर डॉक्युमेंट **http://eproc.rajasthan.gov.in** एवं **http://sppp.raj.nic.in** पर देख सकते है। **Tender ID :-2026_PRD_55733_1**

UBN No- ZUD2627WSOB00345
ZUD2627WSOB00344

प्रशासक
ग्राम पंचायत भरदा
पं.स. ऋषभदेव
जिला-उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भरदा
पं.स. ऋषभदेव
जिला-उदयपुर

जेवरात चोरी

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के देवला गांव में एक हेड कॉनि. के सूने मकान से हजारों की नकदी और कीमती जेवरात चोरी हो गए। यह घटना दोवडा थाना क्षेत्र में हुई।

हेड कॉनि.हिम्मत सिंह डूंगरपुर के सदर थाने में तैनात हैं। उनकी पत्नी के ऑपरेशन के कारण पूरा परिवार सागवाडा के एक निजी अस्पताल में था, जिससे घर सूना था। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया।

युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। धम्बोला थाना पुलिस ने रखोडिया गांव में युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह वारदात एक शादी के बिनौले के दौरान आपसी झगड़े के बाद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। धम्बोला थानाधिकारी ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल को रखोडिया गांव में हुई थी। मृतक की पहचान कांति रोत निवासी रखोडिया के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी इंदिरा रोत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंदिरा रोत गडा बाटेश्वर गांव में गई हुई थी और उनके पति कांति रोत घर पर थे। जब वह वापस लौटी, तो उनके भतीजे तकु उर्फ तेजपाल ने घटना की जानकारी दी। तेजपाल ने बताया कि रखोडिया प्राथमिक स्कूल के पास गांव के ही कुछ लोगों ने कान्ति रोत के साथ लात-घूसों से मारपीट की।

अवैध शराब पकड़ी, दो तस्कर दबोचे

डूंगरपुर,(निसं)। जिले की रामसागडा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई कर अवैध शराब से भरी एक कार पकड़ी है। पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया और 11 कार्टन अवैध शराब जब्त की है।

रामसागडा थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस को एक कार से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने गेसू का वागा वीरपुर में नाकाबंदी की। मुखबिर द्वारा बताई गई एक लग्जरी कार को आते देख उसे रोकने का इशारा किया गया। कार रुकवाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली, जिसमें पीछे की सीट पर अवैध शराब की पेटियां भरी मिलीं। शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध कागजात भी नहीं पाए गए। पुलिस ने मौके से दीपसिंह चौहान निवासी महादेव वाली फली, थाना मेघरेज, जिला अरावली-गुजरात और जिग्नेश भाई निवासी पांचाल सात फली, थाना ईसरी, जिला अरावली-गुजरात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार से 11 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। शराब परिवहन में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले में गुजरात के शराब माफियाओं को पकडने का प्रयास कर रही है।

दुर्लभ दोहरी बीमारी प्सोआस हर्निया व अपेंडिसाइटिस का सफल उपचार

उदयपुर, (कासं)। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) में डॉक्टरों ने दुर्लभ दोहरी बीमारी प्सोआस हर्निया व अपेंडिसाइटिस का उपचार किया।

पीआईएमएस के चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने बताया कि गत दिनों एक मरीज को पिछले एक महीने से बीच-बीच में पेट दर्द की शिकायत के चलते पीआईएमएस में भर्ती कराया गया। इसके साथ मरीज को पिछले तीन दिनों से कब्ज और उल्टी की भी समस्या थी। विस्तृत जांच और इमेजिंग के बाद मरीज में प्सोआस हर्निया (जो कि लम्बर हर्निया का एक दुर्लभ प्रकार है और एक लाख में एक को होने वाली बीमारी है तथा अपेंडिसाइटिस का पता चला। आशीष अग्रवाल ने बताया कि प्सोआस हर्निया, जिसे अधिक सटीक रूप से लम्बर हर्निया कहा जाता है, आमतौर पर प्सोआस मांसपेशी के पास सुपीरियर लम्बर ट्रायंगल से होता है। यह अत्यंत दुर्लभ है और सामान्य सर्जिकल प्रैक्टिस में पाए जाने वाले कुल एब्डॉमिनल वॉल हर्निया के एक प्रतिशत से भी कम मामलों में देखा जाता है।इस मरीज में हर्निया के अंदर डिस्टल इलियम, एपेंडिक्स तथा सीकम पाए गए, जो इस केस को और भी जटिल बनाता है। मरीज दिव्यांग था और उसका उपचार भामाशाह योजना के अंतर्गत पीआईएमएस अस्पताल में पूर्णत: नि:शुल्क किया गया। मरीज का उपचार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें एक ही सत्र में हर्निया का रिडक्शन और लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टॉमी की गई। यह ऑपरेशन जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. पी.पी. शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F-7 ( )B.Plan/Misc/2025-26/ दिनांक:- 26/3/2026

आम - सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14-10-2024 को विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (Development Promotion & Control Regulations) हेतु जारी अधिसूचना एवं इसकी विस्तारता मे समय-समय पर जारी आदेशों / परिपत्रों / अधिसूचनाओं आदि की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/ योजना	खसरा संख्या/ ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री महेन्द्र कुमार पटेल पिता श्री भेरा पटेल	वाडा	1199, 1200, 1201 मीन	02	2975.00 वर्गफीट	अम्बेरी पुलिया से देबारी चौराहे को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकोडा पार्श्वनाथ विलास के समीप 200 फीट पश्चात् 60 फीट सडक पर स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

गिट्स की टीम ने हैकथॉन में जीता प्रथम स्थान

उदयपुर, (कासं)। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज (गिट्स), उदयपुर के छात्रों ने अंतरग्रीय स्तर पर इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईइइइ)) द्वारा आयोजित हैकथॉन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता चण्डीगढ ग्रुप ऑफ कॉलेज लान्ड्रान (मोहाली) द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देशभर की 179 टीमों ने भाग लिया।

संस्थान के निदेशक डॉ. एस. एम. प्रसन्ना कुमार ने बताया कि टीम द्वारा विकसित प्रोजेक्ट आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर लतीफ खान के निर्देशन में विद्यार्थी रेहान रजा, भूपेश नागदा, शादाब खान एवं तनिषा गोयल द्वारा बनाया गया। यह प्रोजेक्ट आंधी-तूफान, भूकंप, बाढ लैंड स्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले लोगों को सतर्क करने के साथ-साथ सुरक्षित स्थानों की पहचान भी कराता है । संस्थान के वित्त नियंत्रक बी. एल. जांगिड ने छात्रों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति फतहनगर, जिला –उदयपुर

क्रमांक: कृउमस/फतहनगर/आवंटन पत्रावली/2026-27/46-80 दिनांक: 20.04.2026

आवंटन विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति, फतहनगर के गौण मण्डी प्रांगण भीण्डर में "अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005" एवं संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण में दुकान/दुकान मय गोदाम मय प्लेटफार्म हेतु उपलब्ध रिक्त भूखण्डों के आवंटन हेतु मण्डीक्षेत्र के एवं अन्य मण्डीक्षेत्र के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग, मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्रधारी तेलमिल व अन्य जिन्स प्रसंस्करण इकाईयों (मण्डी प्रागण से बाहर), मण्डी क्षेत्र के कृषक, निःशक्तजन, पंजीकृत कृशक उत्पादक संगठन/कम्पनी एवं विधवा महिला कृशक को 99 वर्शीय लीज पद्धति पर आवंटित किया जाना है। आवंटन योग्य रिक्त भूखण्डों का आवंटन नीति अनुसार आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है :–

भूखण्डों का प्रयोजन	मण्डी प्रांगण का नाम मय विवरण	उपलब्ध भूखण्डों का विवरण (साईज एवं संख्या) ब्लॉकवार वर्गीकरण	अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों हेतु भूखण्डों की संख्या						अनुज्ञापत्रधारी वन उपज/औषधियों पादम/जड़ी बूटियों के व्यवसाईयों हेतु		अनुज्ञापत्र धारी तेल मिल व अन्य जिन्स प्रसंस्करण इकाईयां (मण्डी प्रांगण के बाहर)		कृषक हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या								पंजीकृत कृषक उत्पाद संगठन / कम्पनी हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या	जैवित खेती कृषि के उत्पाद क कृषक हेतु आरक्षित भूखण्डों की संख्या
			सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति						सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति				
			सामान्य	नि:शक्त	सामान्य	नि:शक्त	सामान्य	नि:शक्त	सामान्य	नि:शक्त	सामान्य	नि:शक्त	सामान्य	नि:शक्त	विधवा म.	सामान्य	नि:शक्त	विधवा म.	सामान्य	नि:शक्त	विधवा म.		
अधि सूचित कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय हेतु	गौण मण्डी प्रांगण, भीण्डर	(अ) छोटे भुखण्ड 15' X 20' = 29, 10' X 25' = 19, 15' X 20' = 30, Total = 78	35	01	07	01	05	00	07	01	04	00	09	01	01	02	0	0	02	0	0	01	01
		(ब) बड़े भुखण्ड 20'X30' +10' PF = 36, 25'X40' +10' PF = 06, 30'X40' +10' PF = 06, Total = 48	21	01	05	0	04	0	05	0	02	0	07	0	0	02	0	0	01	0	0	0	0
	कुलयोग	कुलयोग – 126	56	02	12	01	09	0	12	01	06	0	16	01	01	04	0	0	03	0	0	01	01

आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. उक्त तालिकानुसार अनुज्ञापत्रधारी हेतु उपलब्ध भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्ड अन्य मण्डीयों के अनुज्ञाधारियों को आवंटित किये जा सकेंगे। मण्डी क्षेत्र के बाहर के अनुज्ञाधारियों के आवेदन प्राप्त नही होने की दशा में अनुज्ञाधारी व्यापारियों के आवंटन हेतु उपलब्ध सभी भूखण्ड़ स्थानीय आवेदक अनुज्ञाधारी व्यापारियों को आवंटित किये जा सकेंगे।
2. आवेदन हेतु आवेदन पत्र 500/– रूपये मय जीएसटी 90/– रूपये सहित कुल 590/– रूपये कार्यालय कृशि उपज मण्डी समिति फतहनगर में नकद/बैंक ड्राफ्ट (डी.डी) द्वारा जमा कराकर दिनांक 27.04.2026 से कार्यालय समय में मण्डी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र भरकर कार्यालय कृशि उपज मण्डी समिति फतहनगर में दिनांक 12.06.2026 को दोपहर 3.00 बजे तक जमा करवाये जावेंगे।
3. आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में 10000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट (डी.डी) संलग्न करना होगा जो कि **कृषि उपज मण्डी समिति फतहनगर** के नाम से देय हो, बिना धरोहर राशि आवेदन फार्म मान्य नही होगा। कृशक वर्ग जो राजस्व अभिलेख में आवंटन विज्ञप्ति जारी करने से कम से कम दो वित्तीय वर्श पूर्व से स्वयं के नाम से न्यूनतम एक बीघा भूमि धारण करता हो अथवा जिनकी राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी (पुरूशा/महिला) की भूमि हो, तथा वह वास्तविक रूप से उस भूमि पर तत्समय पर कृशि कार्य करता हो, करता है, एवं जमाबन्दी के साथ गिरदावरी से संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करता हो, वे मण्डी प्रांगण मे आवंटन हेतु पात्र हों तथा कृशक उपरोक्त वर्णित कृशि भूमि संबंधित मण्डी के क्षेत्र में अवस्थित हो एवं कृशक संबंधित मण्डीक्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता हो।
4. निःशक्तजन/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विधवा कृशक महिला, जैविक खेती उत्पादक कृशक एवं कृशक उत्पादक संगठन/कम्पनी को सक्षम अधिकारी/विभाग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आवंटन अचल सम्पत्ति आवेदन नीति 2005 के तत्समय प्रभावी एवं संशोधनों के प्रावधानानुसार ही किया जावेगा।
   आवेदन से पूर्व पात्रता, वर्गवार आरक्षण, रिक्त भूखण्डों की स्थिति इत्यादी समस्त जानकारी तथा इस संबंध में नियम एवं अन्य शर्तो की जानकारी कार्यालय कृशि उपज मण्डी समिति फतहनगर में किसी भी कार्य दिवस में की जा सकती है। ब्लॉकवार वर्गीकरण, भूखण्डों की नम्बरिंग एवं आरक्षण का अन्तिम निर्णय आवंटन समिति की बैठक में लिया जायेगा। आवंटन बैठक तिथि तक राज्य सरकार द्वारा आरक्षण/आवंटन प्रकिया में किया गया कोई भी संशोधन मान्य होगा। अचल सम्पति आवंटन नीति के प्रावधान, आरक्षण व शर्तो हेतु विभागीय website : www.agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर आवंटन नीति 2005 व संशोधित प्रावधानों का अवलोकन करें।

राज.संवाद/सी/26/1382

सचिव प्रशासक